संख्या–2431/नौ–6–2021

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 2021

विषय :– नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पदेन सदस्य के रूप में आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा (9) (1) की उप धारा (ख) एवं (ग) में निम्नलिखित व्यवस्था है :–

(ख) पदेन सदस्य जिसमें लोकसभा और राज्य विधान सभा के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित हैं, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें पूर्णतः या भागतः नगर पालिका क्षेत्र समाविष्ट है;

(ग) पदेन सदस्य, जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित हैं जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं;

2– शासन के संज्ञान में आया है कि नागर निकायों द्वारा बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त व्यवस्था का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है, इसे शासन द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

3– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत की बोर्ड बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने हेतु उपर्युक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।